



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 4, सोमवार, शाके 1941 अगस्त 26, 2019
Bhadra 4, Monday, Sakā 1941–August 26, 2019

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2019

संख्या प.2(38)विधि/2/2019.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 20)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 20 अगस्त, 2019 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2019 है।
- 2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3, 8 और 9 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

- 3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 2 के खण्ड (36) में विद्यमान स्पष्टीकरण III के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण IV जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण IV.- राज्य में खुदरा आउटलेट्स को डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए तेल कम्पनियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम उस कीमत के बराबर समझी जायेगी जिस पर खुदरा आउटलेट्स ये वस्तुएं उपभोक्ता को विक्रय करते हैं;"।

अध्याय 3

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 174 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 174 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा (2क) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(2क) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,-

- (i) ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये, निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं और आदेशों से लोप करने, उनमें जोड़ने और उनका अनुकूलन तथा उपान्तरण करने के लिए;
- (ii) निरसित अधि नियमों के अधीन वसूलीय बकाया शोध्यों के परिनिर्धारण के लिए किसी स्कीम की विरचना को सम्मिलित करते हुए, निरसित अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय कर की वसूली, छूट, अधित्यजन, अपलेखन या रिबेट के लिए; और
- (iii) ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को, जो निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों, जारी की गयी अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्रयोक्तव्य ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा, जैसाकि उक्त अधिसूचना में उल्लिखित किया जाये, विनिर्दिष्ट करने के लिए,

ऐसे उपबंध बना सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।"

अध्याय 4

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

5. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 8क का अन्तःस्थापन.- राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की विद्यमान धारा 8 के पश्चात् और विद्यमान धारा 9 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा 8क अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"8क. राज्य सरकार की कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज अधित्यक्त करने की शक्ति.-

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लोक हित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदायकों या व्यक्तियों के किसी भी वर्ग द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।"

अध्याय 5

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ख) उस अनुसूची में वर्णित ऐसी प्रत्येक लिखत, जो किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व में निष्पादित नहीं की गयी है, उक्त तारीख को या उसके पश्चात् राज्य के बाहर निष्पादित की जाती है, राज्य में किये गये या किये जाने वाले किसी मामले या बात से संबंधित है और राज्य में प्राप्त की जाती है, या राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है:"।

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 60 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 60 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उस दशा में कलक्टर जिसमें कि वह मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कलक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

- (i) अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ) में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) अनुच्छेद 6 के खण्ड (क) में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "0.15 प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) अनुच्छेद 21 के खण्ड (iii) में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पच्चीस करोड़ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए-" हटायी जायेगी; और
- (iv) अनुच्छेद 58 में स्तम्भ सं. 2 के अधीन आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिकतम पन्द्रह हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए," हटायी जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 में संशोधन

9. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4 का संशोधन.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

- (I) विद्यमान खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) ऐसे यानों के संबंध में जो खण्ड (ख), (ग), (गग) और (घ) के अन्तर्गत नहीं आते हों, कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो इस राज्य के माल यानों के लिए सकल यान भार के प्रति हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2000/- रुपये प्रतिवर्ष और यात्री यानों के लिए प्रति सीट 2000/- रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होगी:

परन्तु जहां दरें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या मासिक आधार पर विनिर्दिष्ट नहीं की जायें और यदि कर का त्रैमासिक रूप से, अर्द्धवार्षिक रूप से या मासिक रूप से संदत्त किया जाना अनुज्ञेय हो तो संदेय रकम कर की वार्षिक दर की क्रमशः एक चौथाई, आधी या एक बटे बारह के समतुल्य रकम होगी;

(ख) गैर-परिवहन यानों के मामले में और परिवहन यानों के ऐसे वर्ग के मामले में, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, एकबारीय कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, जो यान/चैसिस की लागत के 50% से अधिक नहीं होगा:

परन्तु ऊपर उल्लिखित गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर अतिरिक्त एकबारीय कर, ऐसी दरों पर जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, संदेय होगा;";

- (II) खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यात्री यानों की दशा में 7 दिन या उसके भाग के लिए 500/- रुपये प्रति सीट से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, जी.वी.डब्ल्यू./आर.एल.डब्ल्यू के प्रत्येक एक हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 250/- रुपये से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यात्री यानों की दशा में 2000/- रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं होगा और माल यानों की दशा में 30 दिन या उसके भाग के लिए, सकल यान भार के प्रति हजार किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2000/- रुपये से अधिक नहीं होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (III) विद्यमान खण्ड (ड) हटाया जायेगा; और
- (ii) उप-धारा (2) में,-
- (I) विद्यमान अभिव्यक्ति "या एकमुश्त कर" हटायी जायेगी; और
- (II) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ड) के अधीन एकबारीय कर या धारा 4ग के अधीन एकमुश्त कर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-ख और 4-ग का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4-ख और 4-ग हटायी जायेगी।

11. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-घ का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-घ की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4-ख और 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 4-ड का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ड की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, 4-ख और 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

- (i) उप-धारा (1) में,-
- (I) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4, धारा 4-ख और धारा 4-ग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (II) प्रथम परन्तुक में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "।" प्रतिस्थापित किया जायेगा, और विद्यमान द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगा;
- (ii) उप-धारा (2) में,-
- (I) विद्यमान अभिव्यक्ति "या एकमुश्त कर" हटायी जायेगी;
- (II) प्रथम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (III) द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क)" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ड) या धारा 4-ग के अधीन संदेय पूरा कर या कर की प्रथम किस्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4 और धारा 4-ख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"7. कर का प्रतिदाय.- (1) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर से भिन्न कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, कर का पिछली बार संदाय किये जाने के समय से लगातार एक मास से अन्यून की कालावधि तक उपयोग में नहीं लिया गया है तो वह उस कालावधि के, जिसके लिए ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, प्रत्येक पूरे मास के लिए, ऐसे यान के संबंध में संदत्त कर की वार्षिक दर के 1/12 के बराबर रकम के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(2) जब कोई भी व्यक्ति, जिसने धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एकबारीय कर का संदाय कर दिया है, कराधान अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे कि वह मोटर यान, जिसके संबंध में ऐसे कर का संदाय कर दिया गया है, राज्य के बाहर ले जाया गया है या पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है तो वह विहित रीति से आनुपातिक आधार पर ऐसे कर के प्रतिदाय का हकदार होगा।

(3) कराधान अधिकारी, देय कर से अधिक संदत्त किसी भी रकम का विहित रीति से प्रतिदाय या समायोजन कर सकेगा।"

15. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

- (i) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न "|" प्रतिस्थापित किया जायेगा, और विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;
- (ii) उप-धारा (2) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (ख) और खण्ड (ड)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (ख)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यान पर विहित रीति से प्रदर्शित किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यान में विहित रीति से रखा जायेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

16. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10-क का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10-क हटायी जायेगी।

17. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 10-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 10-ख में विद्यमान अभिव्यक्ति ", विशेष टोकन" हटायी जायेगी।

18. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 11 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या विशेष सड़क कर" हटायी जायेगी।

19. 1951 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में,-

- (i) खण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "यान पर टोकन प्रदर्शित करने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यान में टोकन रखने" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) खण्ड (खखख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ", विशेष टोकन" हटायी जायेगी।

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, August 21, 2019

No. F. 2(38)Vidhi/2/2019.- In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Vitt Adhiniyam, 2019 (2019 Ka Adhiniyam Sankhyank 20):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2019
(Act No. 20 of 2019)

(Received the assent of the Governor on the 20th day of August, 2019)

*An
Act*

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003, the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962, the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2019-20 and to make certain other provisions.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2019.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958.- In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 3, 8 and 9 of this Bill shall have immediate effect under the said Act.

**CHAPTER II
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX ACT, 2003**

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 4 of 2003.- In clause (36) of section 2 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), after the existing Explanation III, the following Explanation IV shall be added, namely:-

“**Explanation IV.-** The amount received or receivable by oil companies for the sale of diesel and petrol to the retail outlets in the State shall be deemed to be equivalent to the price on which the retail outlets sell these commodities to the consumer;”.

**CHAPTER III
AMENDMENT IN THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017**

4. Amendment of section 174, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (2) and before the existing sub-section (3) of section 174 of the Rajasthan Goods and

Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the following new sub-section (2A) shall be inserted, namely:-

“(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions as appears to it necessary or expedient, for-

- (i) making omissions from, additions to and adaptations and modifications of the rules made, notifications and orders issued under the repealed Acts, from such date as may be specified therein;
- (ii) recovery, exemption, waiver, write off or rebate of tax leviable under the repealed Acts including framing of any scheme for settlement of outstanding dues recoverable under the repealed Acts; and
- (iii) specifying the authority, officer or person who shall be competent to exercise such functions exercisable under any of the repealed Acts or any rules made, notifications or orders issued thereunder as may be mentioned in the said notification.”.

CHAPTER IV

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN ELECTRICITY (DUTY) ACT, 1962

5. Insertion of section 8A, Rajasthan Act No. 12 of 1962.- After the existing section 8 and before the existing section 9 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the following new section 8A shall be inserted, namely:-

“**8A. Power of State Government to waive penalty and interest in certain cases.-** Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government in the public interest, by notification in the Official Gazette, may reduce or waive any amount of interest or penalty payable under this Act, by any class of suppliers or persons, subject to such terms and conditions as may be specified therein.”.

CHAPTER V

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

6. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 3 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for the existing clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"(b) every instrument mentioned in that Schedule, which, not having been previously executed by any person, is executed out of the State on or after the said date, relates to any matter or thing done or to be done in the State and is received in the State, or relates to any property situate in the State:".

7. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 60 of the principal Act, for the existing expression "The Chief Controlling Revenue Authority or the Collector if empowered by the Chief Controlling Revenue Authority in this behalf", the expression "The Collector" shall be substituted.

8. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

- (i) in clause (d) of Article 5, for the existing expression "0.15%" appearing under column No. 2, the expression "0.25%" shall be substituted;
- (ii) in clause (a) of Article 6, for the existing expression "0.15%" appearing under column No. 2, the expression "0.25%" shall be substituted;

- (iii) in clause (iii) of Article 21, the existing expression "Subject to a maximum of twenty five crores rupees-" appearing under column No. 2, shall be deleted; and
- (iv) in Article 58, the existing expression "subject to maximum of rupees 15,000/-" appearing under column No. 2 shall be deleted.

CHAPTER VI

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1951

9. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(I) for the existing clauses (a) and (b), the following shall be substituted, namely:-

"(a) a tax in respect of such vehicles which are not covered by clause (b), (c), (cc) and (d) at such rates as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette which shall not exceed Rs. 2000/- per thousand Kg. of Gross Vehicle Weight or part thereof per year for goods vehicles and Rs. 2000/- per seat per month for passenger vehicles of this State:

Provided that where the rates are not specified, on quarterly, half yearly or monthly basis, by the State Government, by notification in the Official Gazette and if the tax is permissible to be paid quarterly, half yearly or monthly, the amount payable shall be equivalent to the one fourth, one half or one twelfth respectively of the annual rate of tax;

(b) a one time tax in the case of non transport vehicles and in case of such class of transport vehicles, as may be specified by notification in the Official Gazette, at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette which shall not exceed 50% of the cost of the vehicle/chassis:

Provided that on every transfer of ownership of non transport vehicles mentioned above, an additional one time tax shall be payable at such rates as may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette;"

(II) in clause (c), for the existing expression "not exceed Rs. 500/- per seat for 7 days or part thereof in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 250/- per thousand Kg. Gross Vehicle Weight/Registered Laden Weight", the expression "not exceed Rs. 2000/- per day in case of passenger vehicles and shall not exceed Rs. 2000/- per thousand Kg. Gross Vehicle Weight" shall be substituted;

(III) the existing clause (e) shall be deleted; and

(ii) in sub-section (2),-

(I) the existing expression "or lump sum tax" shall be deleted; and

(II) in second proviso, for the existing expression "or clause (e) of sub-section (1) of section 4 or lump sum tax under section 4-C", the expression "of sub-section (1) of section 4" shall be substituted.

10. Deletion of section 4-B and 4-C, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- The existing sections 4-B and 4-C of the principal Act, shall be deleted.

11. Amendment of section 4-D, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 4-D of the principal Act, for the existing expression "sections 4, 4-B and 4-C", the expression "section 4" shall be substituted.

12. Amendment of section 4-E, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (1) of section 4-E of the principal Act, for the existing expression "sections 4, 4-B and 4-C", the expression "section 4" shall be substituted.

13. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 5 of the principal Act,-

- (i) in sub-section (1),-
 - (I) for the existing expression "section 4, section 4-B and section 4-C", the expression "section 4" shall be substituted;
 - (II) in the first proviso, for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted, and the existing second proviso shall be deleted;
- (ii) in sub-section (2),-
 - (I) the existing expression "or lump sum tax" shall be deleted;
 - (II) in the first proviso, for the existing expression "section 4-B", the expression "clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;
 - (III) in the second proviso, for the existing expression "section 4-B", the expression "clause (a) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3), for the existing expression "clause (b) or (e) of sub-section (1) of section 4 or full tax or first instalment of tax under section 4-C", the expression "clause (b) of sub-section (1) of section 4" shall be substituted; and
- (iv) in sub-section (4), for the existing expression "section 4 and section 4-B", the expression "section 4" shall be substituted.

14. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- For the existing section 7 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"7. Refund of tax.- (1) When any person who has paid the tax other than one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle in respect of which such tax has been paid, has not been used for a continuous period of not less than one month since the tax was last paid, he shall be entitled to the refund of an amount equal to 1/12th of the annual rate of the tax paid in respect of such vehicle for each complete month of the period for which such tax has been paid.

(2) When any person who has paid one time tax under clause (b) of sub-section (1) of section 4 proves to the satisfaction of the Taxation Officer that the motor vehicle, in respect of which such tax has been paid, has been taken out of the State or has completely been destroyed shall be entitled to the refund of such tax on pro rata basis in the prescribed manner.

(3) The Taxation Officer may refund or adjust in the prescribed manner any amount paid in excess of the tax due."

15. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 10 of the principal Act,-

- (i) in clause (b) of sub-section (1), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark "." shall be substituted, and the existing proviso shall be deleted;
- (ii) in clause (a) of sub-section (2), for the existing expression "clause (b) and clause (e)", the expression "clause (b)" shall be substituted; and
- (iii) in clause (b) of sub-section (2), for the existing expression "exhibited on", the expression "kept in" shall be substituted.

16. Deletion of section 10-A, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- The existing section 10-A of the principal Act shall be deleted.

17. Amendment of section 10-B, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In section 10-B of the principal Act, the existing expression ", special token" shall be deleted.

18. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In clause (a) of sub-section (1) of section 11 of the principal Act, the existing expression "or special road tax" shall be deleted.

19. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 11 of 1951.- In sub-section (2) of section 22 of the principal Act,-

- (i) in clause (b), for the existing expression "exhibiting a token on", the expression "keeping a token in" shall be substituted; and
- (ii) in clause (bbb), the existing expression "special token" shall be deleted.

महावीर प्रसाद शर्मा,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।